



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 705 राँची, गुरुवार

16 अग्रहायण, 1945 (श०)

7 दिसम्बर, 2023 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 2023

संख्या-एल०जी०-11/2017-87/लेज०-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-01/12/2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(झारखण्ड अध्यादेश संख्या- 01, 2023)

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम- 12, 2017) में संशोधन हेतु अध्यादेश।

प्रस्तावना

चूँकि झारखण्ड राज्य की विधान-सभा सत्र में नहीं है और चूँकि, झारखण्ड राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम-12, 2017) के कतिपय विद्यमान प्रावधानों में संशोधन और/अथवा विलोपन और/अथवा प्रतिस्थापन हेतु तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।

इसलिए अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। (1) यह अध्यादेश झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जा सकेगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेश के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु इस अध्यादेश के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अध्यादेश के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

2. धारा 2 का संशोधन।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-

(क) खंड (80) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(80क) “ऑनलाइन गेम खेलना” से इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है ;

(80ख) “ऑनलाइन धनीय गेम खेलना” से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं”;

(ख) खंड (102) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(102क) “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे” से,-

- (i) दांव लगाने ;
- (ii) कैसिनो ;
- (iii) दयुतक्रीड़ा ;
- (iv) घुड़दौड़ ;
- (v) लाटरी ; या
- (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है ।”;

(ग) खंड (105) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या

इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकर समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकर को लागू होंगे मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकर हो।;

(घ) खंड (117) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“(117 क) “आभासी डिजिटल आस्ति” का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसका है।”

3. धारा 24 का संशोधन।

मूल अधिनियम की धारा 24 में, -

(क) खंड (xi) में, अंत में, “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“(xi)क) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ; और”।

4. अनुसूची 3 का संशोधन।

मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 6 में, “लाटरी, दांव और न्यूत” शब्दों के स्थान पर, “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों” शब्द रखे जाएंगे।

5. संक्रमणकालीन उपबंध।

इस अध्यादेश के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार दुबे
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 2023

संख्या-एल०जी०-11/2017-88/लेज०-- माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-01/12/2023 को अनुमत झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 **(Jharkhand Ordinance No.- 01, 2023)**

An Ordinance, to amend Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Jharkhand Act- 12, 2017).

Preamble

Whereas the legislative Assembly of State of Jharkhand is not in session and whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action to amend and/or delete and/or substitute certain existing provisions and also to bring certain new provisions into the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Jharkhand Act No. 12, 2017).

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand is hereby pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title and commencement. - (1) This Ordinance may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Ordinance shall come into force on such date as the Government of Jharkhand may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Ordinance and any reference in any such provision to the commencement of this Ordinance shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of Section 2.

In section 2 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act),—

(a) after clause (80), the following clauses shall be inserted, namely:—

'(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;'

(b) after clause (102), the following clause shall be inserted, namely:—

'(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of—

- (i) betting;
- (ii) casinos;
- (iii) gambling;
- (iv) horse racing;
- (v) lottery; or
- (vi) online money gaming;'

(c) in clause (105), the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;";

(d) after clause (117), the following clause shall be inserted, namely:—

'(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 ;'.

3. Amendment of Section 24.

In section 24 of the principal Act,—

- (a) in clause (xi), the word "and" occurring at the end, shall be omitted;
- (b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:—

"(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and".

4. Amendment of Schedule III.

In the principal Act, in Schedule III, in paragraph 6, for the words "lottery, betting and gambling" the words "specified actionable claims" shall be substituted.

5. Transitory provision.

The amendments made under this Ordinance shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार दुबे
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
